आरक्षण हेतु सामाजिक आन्दोलन एवं उनका शांतिपूर्वक समाधान

डॉ. ओमप्रकाश सोलंकी

एस.बी.के.राजकीय महाविद्यालय,
जैसलमेर (राज.)

मुख्य बिन्दुः आरक्षण, आन्दोलन, सामाजिक असमानता, संविधान, राजनीतिक दल, गांधीय चिंतन।

भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समाजवादी विचारधारा के अनुरूप समाज में व्याप्त वर्णभेद की विषमता को हटाने के लिए कई प्रयास किये गये और किये जा रहे हैं। इसी मूल भावना को ध्यान में रख कर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में दलित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्ष्झण का कानूनी प्रावधान रखा था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। प्रारम्भ में दस वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी इसके पश्चात् इस पर पुनर्विचार करने का प्रावधान रखा गया था। आरक्षण सुविधा मिलने के साथ–साथ आरक्षित वर्ग संगठित होता चला गया और सरकार द्वारा इस नीति को जारी रखने के लिए लगाता दबाव बनाये रखा। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे व सत्ता में हो या फिर विपक्ष में इस नीति को जारी रखने की हिमायत की।

संवेदनशील मामल होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इसे समाप्त करने या इसके प्रावधानों में संशोधन का साहस नहीं जुटाया। प्रारम्भ में आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई बाद में इसमें कई अन्य जातियों को भी शामिल किया गया। आरक्षण का लाभ प्राप्त करके इन वर्गों के कई लोग उच्च पदों तक पहुंचे हैं तथा उनके सामाजिक स्तर में परिवर्तन देखने को मिला है। सरकारी तंत्र में दलित एवं पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व मिलने से इन लोगों के सामाजिक जीवन मे काफी बदलाव देखे जा सकते हैं।

देश में स्वतंत्रता के बाद आर्थिक व सामाजिक रूप से देश की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आरक्षण प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप लगातार बिगड़ता ही चला गया। आरक्षण का उद्देश्य जो भी था, लेकिन उसका उपयोग पूरी तरह से राजनीतिक ही किया गया और आत तक वही परिपाटी चली आ रही है। आरक्षण के नाम पर राजनीति के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है।

प्रारम्भ में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग को ही आरक्षण का लाभ दिया गया परन्तु मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। वर्तमान में तो अल्पसंख्यक एवं महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ प्रदान यिा जा रहा है तथा आरक्षण की सीमा काफी बढ़ गई है। विभिन्न जातियां आरक्षण का लाभ पाने के लिए लगातार संघर्षरत है, तथा आन्दोलन की राह पर है। किसी जाति विशेष को आरक्षण का लाभ मिलने से उसक जाति में खुशी की लहर दौड़ जाती है तो दूसरी तरफ आरक्ष्झण के लाभ से वंचित रहने वाली जातियों में मायूसी छा जाती है। जिन जातियों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है वे जातियां दूसरी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने पर आगबबूला हो उठती है। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरक्षण का

राजनीतिकरण हो रहा है। दलित एवं पिछड़े तबकों के उत्थान के जिस मूल उददेष्य को लेकर आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वही आरक्षण आज देश के लिए एक समस्या का रूप ले चुका है।

भारत में आरक्षण व्यवस्था को सभी राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। वर्तमान चुनावी परिपेक्ष्य में यदि दृष्टि ड़ाले तो हम पाते है कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी पार्टी के घोषणा पत्रों मे बढ़–चढ़ कर आरक्षण की हिमायत करता है। भारतीय संविधान में आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान जिस उददेश्यों को लेकर किये गये वे 65 वर्षों के बाद भी पूरे नहीं हो पाये हैं। आज आरक्षण का हर मुद्दा विवाद का विषय बनता जा रहा है तथा न्यायालयों में आरक्षण से संबधित बड़ी संख्या में वाद लम्बित पड़े हैं। न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर आरक्षण की राजनीति को लेकर सरकारों को फटकार लगायी जाती है। आज आरक्षण से संबंधित कोई भी मसला हो चाहे वह किसी जाति को आरक्षण देने से संबंधित हों चाहे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित हो या चाहे वह किसी प्रकार के चुनावों में आरक्षण का मसला हो आरक्षण के मुद्दे का जमकर राजनीतिकरण हो रहा है तथा अधिकतर मामलों में न्यायालय की शरण ही लेनी पड़ती है। यदि न्यायालय आरक्षण के किसी मामले में उचित निर्णय लेता है। और वह अगर किसी जाति विशेष की भावना के अनुरूप नहीं है तो राजनीतिक पार्टिया न्यायालय के आदेश के बावजूद भी इन जातियों को कुछ करने के लिए आरक्षण देने की हिमायत करती है। क्योंकि हर राजनीतिक दल यह जानता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो किसी दल की हार जीत पर सीधा असर डालता है।

आज ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि कोई राजनीतिज्ञ आरक्षण को हटाने घटाने या उसमें संशोधन करने की वकालात करता है, तो विरोधी ही नहीं उसकी खुद की पार्टी के सहयोगी भी यह उनके व्यक्तिगत विचार है, ऐसा कहकर पल्ला झाड़ लेते है। ऐसे राजनीतिज्ञ को सर्वत्र आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। उसे अन्त में अपने शब्द वापिस लेने पड़ते हैं। वंचित वर्गों का वोट हासिल करने के लिए सभी राजनीतिज्ञ दल अपने घोषणा पत्र में आरक्षण को लेकर कोई न कोई वादा अवश्य करते हैं।

चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर मार्क्सवादी पार्टी, सभी समय–समय पर वोटरों को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र में आरक्षण का जिक्र अवश्य करते हैं। बसपा और समाजसवादी पार्टी को तो उदय ही आरक्षण के मुद्दे पर हुआ हैं।

आरक्षण का मुद्दा लगातार वर्गीय आन्दोलन, जातिय आन्दोलन तथा हिंसक घटनाओं को जन्म देता आया है। आजादी के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने भारत के समग्र विकास का मुख्य मुद्दा था। जिसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनेक साधन सर्वसम्मति से आरक्षण की नीति को तात्कालीक राहत के रूप में लागू किया गया। और समाज के निचले तपके व पिछडी जातियों के विकास हेतु संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान में आरक्षण का राजनीतिकरण होता जा रहा हैं, और विभिन्न जाति और दल इसे राजनीतिक दलों के वोट बैंकों के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं।

सामाजिक आन्दोलनों का शान्तिपूर्वक गांधीवादी समाधानः

आरक्षण के मामले में सामाजिक आन्दोलन एक कारगर हथियार बन चुका है, उपेक्षित एवं वंचित वर्ग संगठित होकर सामाजिक आन्दोलन खड़ा कर रहे हैं। जो कभी–कभी उग्र रूप भी धारण कर लेता हैं। आज आरक्षण पाने के लिए जो सामाजिक आन्दोलन हो रहे है उनका पूर्ण राजनीतिकरण हो चुका है। आरक्षण का वादा पूर्ण नहीं होने की स्थिति में यह सामाजिक आन्दोलन उग्र हो जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए हुए उग्र सामाजिक

आन्दोलनों से राष्ट्र को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है, तो दुसरी और कई लोंगों की जान तक चली गई है। आरक्षण की मांग उचित हो या अनुचित उसका फैसला केवल संविधान के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। केवल राजनीतिक दबाव और जातीय शक्ति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

गांधीय चिन्तन को आज वास्तव में अपनाकर मानव समाज को विनाशकारी युद्ध से बचाया जा सकता है। गांधीय अहिंसात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के विकल्प प्रस्तुत किये जा सकते है। महात्मा गांधी के तीन अमोघ अस्त्र थे– सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह।

गांधीजी का अनुभव था कि मानवीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं का एक मात्र हल अहिंसा ही है। अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली है। अहिंसा एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर को जन्म देती है तथा सभी मनुष्यों को समान समझने की प्रेरणा देती है। गांधीजी ने सत्याग्रह का प्रयोग अन्याय व हिंसा के विरूद्ध एक सस्त्र के रूप में किया।

गांधीजी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के प्रयोग से वर्तमान विश्व की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान सम्भव है। गांधीजी ने शान्तिपूर्वक आन्दोलन के लिए जिन अस्त्रों का प्रयोग किया उनमें असहयोग, हड़ताल, सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार, धारणा, नागरिक अवज्ञा, हिजरत, उपवास आदि है।

सामाजिक आन्दोलनों के समाधान हेतु कुछ अन्य उपाय इस प्रकार है–

1. राजनीतिक समाधानः

आरक्षण हेतु किए जा रहे आन्दोलनों से निपटने के लिए राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। आरक्षण की समस्या को दलीय राजनीति से उपर रखते हुए उनके सम्बन्ध में आम सहमति को अपनाये जाने की आवश्यकताएं है।

2. रोजगार के अवसरः

आरक्षण का लाभ पाने की आशा रखने वाले समुदायों को यदि रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करा दिये जाये और आरक्षण के लिए हो रहे संघर्ष को कुछ हद तक रोका जा सकता है। आज कुछ पिछडे समुदाय के लोग जो परम्परागत रूप से कृर्षि अथवा पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े रहे और उन्हें वर्तमान में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं जिससे वे और अधिक पिछड़ रहे हैं, उन्हें कौशल विकास के द्वारा रोजपरक परिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

3. सामाजिक विकृतियां दूर करनाः

भारतीय सामाजिक प्रणाली में हमेशा ही स्वर्णवर्ग और निम्नवर्ग के बीच गहरी खाई विद्यमान रहीं है जो वर्तमान में भी व्याप्त है। यदि हम आरक्षण की समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें हमारी सामाजिक प्रणाली में व्याप्त विकृतियों को दूर करना होगा। साथ ही आदिवासियों, किसानों और दलित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने होंगें, जिससे उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो।

4. जमीनी स्तर पर विकस पर बलः

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें दोनों को मिलकर देश के दुर दराज क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों वंचितों और उपेक्षितों के प्रभावी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विकास को हर झण्डी दिखाने की आवश्यकता है। विकास का क्रम उपर से नीचे की और न होकर नीचे से उपर की और होना चाहिए। विकास की गति भी तेज व त्वरित होनी चाहिए। ताकि शीघ्रता से पिछडेपन को दूर कर सामाजिक आन्दोलनों से बचा जा सके।

5. गरीबी अपमशन के प्रयासः

आज व्यवस्था ऐसी है कि अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। गांधीजी इस गरीबी की व्यवस्था को अभिशाप व नैतिक पतन का आधार मानते थे। आज आवश्यक है कि पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी अपमशन हेतु प्रभावी योजनाएं बनाई जायी तथा जो योजनाएं चल रही है उनकी प्रभावी रूप से निगरानी की जाये, ताकि उनका लाभ दलितों व वंचितों को मिल सके और वे अपना जीवन व्यापन कर सके। गरीबी अपमशन से आरक्षण जैसी समस्याएं काफी हद तक कम की जा सकती है।

6. राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय हित में एकमत होनाः

आज लगभग सभी सामाजिक आन्दोलनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सामाजिक आन्दोलनों के जरियें आज राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे है। जब तक राजनीतिक दल दलगत स्वार्थ छोड़कर राष्ट्रहित में एकमत नहीं होगें तब तक सामाजिक आन्दोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं।

7. भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रोत्साहनः

ऋणग्रस्तता और सुधखोरी आदिवासी जीवन के लिए अभिशाप है। गरीब किसानों को शोषण न हो और उनके अधिकार की सुरक्षा हो इसके लिए प्रचलित कानूनों में संशोधन कर भूमि संबंधित नयें कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय–समय पर भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करना भी जरूरी है। जिससे गरीब किसान लाभान्वित हो।

8. आर्थिक समानता की स्थापनाः

आरक्षण की समस्या मूल रूप से शोषक एवं शोषित से जुड़ी समस्या है जिसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक समानता है। जिसे समाप्त करके बहुत हद तक आरक्षण के लिए हो रहे संघर्ष की समस्या पर काबु पाया जा सकता है।

9. राजनेताओं की प्रतिबद्धताः

भारत के राजनेता जिस प्रकार सत्ता लोलुप्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह लोकतन्त्र को विनाश की तरफ लें जारी है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें यदि नहीं जागी, राजनैतिक दलों ने सत्ता लोलुप्ता का विभत्स रूप नहीं छोड़ा तो भारत का लोकतन्त्र और भारत की सुरक्षा दोनों खतरें में पड़ जायेगी। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है जो अपने दल्य हितों से उपर उठकर राष्ट्रीय हित क प्रति प्रतिबद्ध हो परन्तु वर्तमान में राजनेता चाहे किसी भी दल का हो अपने स्वार्थ के लिए आरक्षण आन्दोलनों को प्रोत्साहित कर रहा है।

अतः उपरोक्त शान्तिपूर्वक उपायों को अपनाकर आरक्षण हेतु चल रहे विभिन्न आन्दोलन जो कभी–कभी हिंसक रूप भी धारण कर लेते हैं उनका शान्तिपूर्वक समाधान निकाला जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1- अजय सागर, मण्डल आयोग की रिपोर्ट – एक विश्लेषण, सागर प्रकाशन, मैनपुरी।

2- भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या, जगजीवन राम, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली।

3- रिपोर्ट ऑफ दी बैकवर्ड क्लास, कमीशन, 1956, खण्ड प्रथम।

4- डॉ. कैलाश नाथ व्यास, स्वतंत्र भारत में विकास, हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर।

5- धीरेन्द्र कामठान, आरक्षण एवं रियायतें, किशोर बुक डिपो, जयपुर।

6- के.एस. सक्सेना, राजस्थान में राजनैतिक जनजागरण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

7- राजस्थान राजपत्र।

8- बाबा साहब अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय, खंड 9।

9- आर. चन्द्र, कन्हैयालाल चंचरीक, आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2003।

10- के. मधुसूदन रेड्डी (संपादक) : रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, (लाइट एंड लाइफ पब्लीशर्स) 1982

11- सिंह, परमानंद : इक्वेलिटी, रिजर्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, (नई दिल्ली, दीप तथा दीप 1982)

12- सिंह, रामगोपाल : सामाजिक न्याय एवम् दलित संघर्ष (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी) 1994

समाचार पत्र–पत्रिकाएं

- राजस्थान पत्रिका, बीकानेर
- दैनिक भास्कर, बीकानेर
- नवभारत टाईम्स, नई दिल्ली
- जनसता, नई दिल्ली
- द टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली